संख्या-58/2016/642/12-3-2016-323/03

प्रेषक,

इन्द्रदेव पटेल,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक:: 06 मई, 2016**

विषय:- नाबार्ड सहायतित आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत कृषि विभाग द्वारा संचालित परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, आपके पत्रांक-भू.सं./लेखा/वित्तीय स्वीकृति/2016-17/09डी., दिनांक 06.04.2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आर0आई0डी0एफ0 के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा स्वीकृत की गयी, परियोजनाओं के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि में से निम्न विवरण के अनुसार रू0-500000 हजार (रू0 पचास करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि हजार रू0 में

लेखाशीर्षक	**मानक मद**	**वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में व्यवस्था**	**स्वीकृत धनराशि**
2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-102-मृदा संरक्षण-10-नाबार्ड सहायतित इन्टीग्रेटेड रेनवाटर मैनेजमेंट (वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट)	08-कार्यालय व्यय	5000	2500
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद	10000	5000
	42-अन्य व्यय	980000	490000
	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5000	2500
	योग	**1000000**	**500000**

(रू0 पचास करोड़ मात्र)

2- उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो समान किश्तों में किया जायेगा। पहली किश्त का आहरण अभी किया जायेगा तथा प्रथम किश्त के 75% व्यय होने के उपरान्त दूसरी किश्त का आहरण किया जायेगा।

3- उक्त स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जा रही है कि योजना की त्रैमासिक भौतिक/वित्तीय प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा नाबार्ड के अंश की धनराशि की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- उक्त धनराशि का व्यय नाबार्ड द्वारा आर.आई.डी.एफ.-16, 18 एवं 19 के अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं/ट्रेन्चों के लिए किया जायेगा। योजनान्तर्गत भूमि संरक्षण के कार्यो का सम्पादन व्यय वित्त समिति द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना तथा आर.आई.डी.एफ. के अन्तर्गत संचालित परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नाबार्ड/शासन द्वारा निर्धारित नियमों/शर्तो/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है।

6- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

7- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011,दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान (इम्प्रेस्ट आदि से संबंधित अपवादों को छोड़ते हुए) ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने एवं शासनादेश संख्या-ए- 1-285/दस-2012- 10(29)/2011टी.सी.-।।, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे भेजे जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

8- उक्त धनराशि का व्यय केवल उन्हीं मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। योजना की प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। भूमि एवं जल संरक्षण के कार्यो से संबंधित स्वीकृत धनराशि जनपदवार निर्धारित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप संबंधित भूमि संरक्षण इकाइयों को उनकी निर्धारित वित्तीय सीमा के अन्तर्गत ही आवंटित की जाय।

9- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय।

http://shasanadesh.up.nic.in

10- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक-2402-मृदा तथा जल संरक्षण-आयोजनागत-102-मृदा संरक्षण-10-नाबार्ड सहायतित इन्ट्रीग्रेटेड रेन वाटर मैनेजमेन्ट (वाटरशेड डेवलपमेन्ट) प्रोजेक्ट के अन्तर्गत उपरोक्त तालिका में अंकित सुसंगत मानक मद के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016 - 231/2016, दिनांक 22.3.2016 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(इन्द्रदेव पटेल)
विशेष सचिव।

सं0-642(1)/12-3-2016-तद्दिनांक।

उपरोक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,लेखा व हकदारी प्रथम/आडिट प्रथम इलाहाबाद।
2- समस्त मण्डलायुक्त को इस आशय से प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।
3- अपर कृषि निदेशक (भू0सं0), कृषि भवन,लखनऊ।
4- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- संयुक्त कृषि निदेशक नियोजन, कृषि भवन,लखनऊ।
6- उप महाप्रबंधक, नाबार्ड, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक कृषि भवन, लखनऊ।
8- कृषि अनुभाग-5/वित्त ई-1-
9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(विनय शंकर पाण्डेय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in